न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 180/2013 निर्णय दिनांक 21.10.2019

गौरीशंकर पुत्र स्व. डा. रामदेव मोदी निवासी मोमासर बास, श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

———————वादी

स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

———————प्रतिवादी

उपस्थिति–

1. श्री के.के.पुरोहित अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद गौरीशंकर ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादी कस्बा श्री डूँगरगढ तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकाने का मूल निवासी है तथा वादी का मूल पेशा खेतीबाडी का है । वादी ने गत खेत खसरा नम्बर 72 (वर्तमान खसरा नम्बर 1323/81) रोही श्री डूँगरगढ में से लगभग 28 बीघा कृषि भूमि खातेदार चोरूराम पुत्र मालाराम व श्रवणराम पुत्र मघाराम जाति डाकौत निवासी श्री डूँगरगढ से दिनांक 15.2.2012 से खरीद कर ली गई थी वादी द्वारा उक्त खेत खरीदने से पूर्व उक्त खेत पर चोरूराम पुत्र मालाराम व श्रवणराम पुत्र मघाराम जातियान डाकोत का पिछले 55 वर्षो से लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा श्रवणराम व चोरूराम से खरीदने के बाद लगातार वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । इस प्रकार उक्त खेत की भूमि पिछले 50 वर्षो से लगातार निर्बाध रूप से काश्त की जा रही है । उक्त भूमि के चारों तरफ खातेदारी भूमि है लेकिन तात्कालीन राजस्व कर्मचारियों के सहवन वश उक्त भूमि की खातेदारी श्रवणराम व चोरूराम के नाम से दर्ज नहीं हा सकी है । प्रतिवादी वादी को उक्त खेत से बेदखल करना चाहता है । जिसके तहत प्रतिवादी ने अन्तर्गत धारा 91 का नाटिस दिनांक 11.9.2013 को दिया जो प्रतिवादी ने बिना किसी विधि आधार पर व जांच के दे दिया है जो अवैधानिक है । वादी के पास इस कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है । वादी ने प्रतिवादी को मौखिक व लिखित निवेदन कई बार किया कि मेरा उक्त कृषि भूमि पर वैधारित कब्जा काश्त है । लेकिन प्रतिवादी वादी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करना चाहता है । प्रतिवादी अपनी राजकीय हैसियत का बेजा फायदा उठाकर वादी को उक्त खेत से बेदखल करना चाहता है । इसलिए दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण स्टेट के विरूद्ध दावा पेश करने हेतु धारा 80(2) सीपीसी के तहत नोटिस की अनिवार्यता से छूट प्राप्ति का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । अतः वाद पेश कर निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिक्री फरमाई जावें –

कि वादगत खेत गत खसरा नम्बर 72 (वर्तमान खसरा नम्बर 1323/81)वाके रोही श्री डूँगरगढ की खातेदारी वादी के पक्ष में दर्ज की जावें ।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

कि वादगत खेत गत खसरा नम्बर 72 (वर्तमान खसरा नम्बर 1323/81) में से 6.30 हैक्टयर से प्रतिवादी भूमि में जबरन प्रवेश नहीं करे, ना ही वादी के कब्जा काश्त में बाधा, विघ्न डाले । ना ही किसी प्रकार का कोई कृत्य अपकृत्य करें अथवा करावें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हों ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी की तरफ से रिपोर्ट पेश हुई कि खसरा नम्बर 1323/81 तादादी 228.01 हैक्टयर जो कि सिवाय चक नाकाबिल काश्त बीड के नाम से रिकार्ड में दर्ज है । वादी के अनुसार उसने खसरा नम्बर 1323/81 में से 28 बीघा भूमि खरीद की थी परन्तु मुताबिक रिकार्ड उक्त भूमि सिवाय चक नाकाबिल काश्त बीड रिकार्ड में दर्ज है । मौके पर वर्तमान में उक्त भूमि में कोई काश्त नहीं है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार खसरा नम्बर 1323/81 तादादी 228.01 नाकाबिल काश्त बीड के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । वादी ने अपने समर्थन में श्रवण पुत्र मघाराम, चोरूराम पुत्र मालाराम जाति डाकोत निवासी कालूबास श्री डूँगरगढ से उक्त वादगत भूमि क्रय संबंधी दस्तावेज संलग्न किये है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ ने वादगत भूमि पर वादी का अतिक्रमण मानते हुए वादी को कई बार 91 के नोटिस जारी किये गये थे । स्पष्ट है कि वादी ने श्रवण व भैराराम से सरकारी भूमि क्रय की थी उस भूमि पर न तो श्रवण व भैराराम का अधिकार था न ही वादी का कोई कब्जा काश्त है । अतः वादी का वाद सारहीन होने के कारण वादी वाद खारिज किया जाता है । डिक्री जारी हों ।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.11.21 16:32:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: